17/3/26

पत्रावली पेश हो। पत्रावली पर पक्ष गुणों की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी के इस प्रकार है कि आराजी ख०नं० 296 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम कालाखो तहसील करौली के नक्शा मौजा 5.0 पर बराए मुसे अंकित 10 फुट चौड़ाई व ख०नं० 295 की सीमा तय के रकबा को रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली

पक्ष का मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपस्थित रिकॉर्ड व T&CP रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ख०नं० 296 वाके ग्राम कालाखो तहसील करौली में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, करौली का विभाजन कार्य नहीं लेने मौका पर पत्रावली की मर्यादित बनाए रखे जाने का नोट अंकित है। इसलिए 5.0 पर धारा 91(ए) का नक्शा तैयार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः 5.0 पर धारा 91(ए) का नक्शा स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली डिजिटल अभिलेख में 5.0 अधिकृत पोर्टल पर अंकित कराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)